## बिहार सरकार
## खान एवं भूतत्व विभाग

सं0सं0–2 / एम0एम0 (बा0) 199 / 18–3758 / एम0, पटना, दिनांक–29/9/18

E-mail/
Fax

प्रेषक,

संजय कुमार,
सहायक निदेशक (मु0)।

सेवा में,

सभी समाहर्त्ता।

विषय:– दिनांक–01.10.2018 से बालूघाटों से लघु खनिज में प्रेषण के संबंध में।

प्रसंग:– विभागीय पत्रांक–3765 / एम0, दिनांक–20.09.2018 तथा दैनिक समाचार पत्रों में दिनांक–25.09.2018 को प्रकाशित प्रेस विज्ञप्ति PR No.-8983 (Mines) 2018-19

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संबंध में निदेशानुसार कहना है कि दिनांक–01.10.2018 से पर्यावरणीय शर्तों के अनुसार नदी तल से बालू के प्रेषण पर लगी रोक स्वतः समाप्त हो जाएगी। विभाग द्वारा निर्णय लिया गया है कि दिनांक–01.10.2018 से Pilot Basis पर बालूघाट जिलों में तत्काल एक धर्मकाँटा से जुड़े एक या अधिक बालूघाटों से बालू के प्रेषण के क्रम में Online Challan व्यवस्था लागू की जाएगी। इस क्रम में निम्नलिखित बिन्दुओं का अनुपालन कराना सुनिश्चित किया जाए :–

(1) दिनांक–01.10.2018 से बालूघाट जिलों के बंदोबस्तधारी तत्काल एक धर्मकाँटा को चालू करते हुए उससे जुड़े बालूघाटों के माध्यम से बालू का प्रेषण सुनिश्चित करेगें।

(2) शेष अन्य बालूघाटों में पूर्व की भांति Online E-Challan के माध्यम से बालू का प्रेषण जारी रहेगा।

(3) ट्रैक्टर वाले बालूघाटों के लिए धर्मकाँटों की अनिवार्यता को तत्काल मुक्त रखा गया है।

सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

विश्वासभाजन
29/9/18
सहायक निदेशक (मु0)